48/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 358239

न्यास-पत्र

प्रोग्रेसिव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन

तमसा मार्ग, मीरानपुर, तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर

यह सार्वजनिक न्यास का प्रलेख आज दिनांक 25–11–2013 को अम्बेडकरनगर में श्रीमती रेनू वर्मा पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार वर्मा निवासी तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश, जो भारत की रहने वाली हैं । जिनको यहाँ बाद में मैनेजिंग ट्रस्टी कहा जायेगा । (इस शब्दों में उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान सन्दर्भ में उसके अर्थ के विरुद्ध न हो) तथा 2–श्री अभिनव वर्मा पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार वर्मा निवासी तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश, जिन्हें यहाँ बाद में न्यास का अध्यक्ष कहा जायेगा । तथा 3–आकांक्षित वर्मा पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार वर्मा निवासी तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश, जिन्हें बाद में यहाँ कोषाध्यक्ष कहा जायेगा, 4–अन्वेषा वर्मा पुत्री स्व0 अशोक कुमार वर्मा निवासी तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश, 5–श्री मुक्तिनाथ वर्मा पुत्र स्व0 श्री महादेव प्रसाद वर्मा निवासी देवनिवास कटरा गोसाईगंज, जनपद–फैजाबाद, 6–श्री रजनीश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुक्तिनाथ वर्मा निवासी देवनिवास कटरा गोसाईगंज, जनपद–फैजाबाद, 7–श्रीमती अनीता वर्मा पत्नी श्री रजनीश वर्मा निवासी देवनिवास कटरा, गोसाईगंज, जनपद–फैजाबाद । जो भारत के रहने वाले हैं । जिनको यहाँ बाद में न्यासीगण या (इस सन्दर्भ में कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public Schoo
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेनू वर्मा

रेनू वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur-Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 358240

उत्तराधिकारीगण निष्पादक उसके अर्थ के विरुद्ध न हो) द्वितीय पक्ष जो मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुरोध पर बनने को तैयार है ।

1—अ सम्पत्ति—

मैनेजिंग ट्रस्टी ग्यारह हजार रूपया नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है । भविष्य में दान उपहार क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास में जो सम्पत्ति एक बार निहित हो जायेगी वह न्यास की सम्पत्ति होगी । ट्रस्टी न तो बेंच सकता है और न ही गिरवी रख सकता एवं न ही किराये पर दे सकता है। परन्तु यह नियम मैनेजिंग ट्रस्टी पर प्रभावी नहीं होगा ।

ब— मैनेजिंग ट्रस्टी परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने के इच्छुक हैं ।

स— न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनाने को सहमत हो गये हैं ।

द— इस लेख के पूर्वभास के उपरोक्त 11000/—नगद (ग्यारह हजार) रूपया की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित अदा एवं हस्तगत कर दिया गया है ।

2—न्यास का नाम "प्रोग्रेसिव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन" रहेगा । जो कभी भी बदला नहीं जायेगा ।

क— ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा समय—समय पर नामित ट्रस्टीज से होगा एवं किसी ट्रस्टी के मृत्यु पर यदि ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी की शाखा से हो तो उसक ज्येष्ठ पुत्र और यदि कोई पुरूष सन्तान नहीं है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्री । पुत्र या पुत्री तथा उनकी सन्तानों के जीवित न होने की स्थित में उपरोक्त वर्णित क्रम में मैनेजिंग ट्रस्टी की शाख के अन्य ट्रस्टी की

MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 676087

(3)

ज्येष्ठ सन्तान ट्रस्टी नामित हो सकता है । उक्त नियम तभी लागू होगा जब मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नहीं होगा ।

ख— बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला व चाहे जिस धर्म जाति या सम्प्रदाय की हो । आवश्यकता पड़ने पर नामित किया जायेगा।

ग— मैनेजिंग ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो मैनेजिंग ट्रस्टी की शाखा से ही जिसे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल में भविष्य के लिए नामित किया गया हो ।

3— **कमेटी / कमेटीज :—** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास को चलाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया जायेगा परन्तु उक्त कमेटी का अध्यक्ष बोर्ड और ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और उक्त न्यास का हेड ही पदेन सचिव रहेगा । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदेन सचिव को छोड़कर कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल मात्र दो वर्ष होगा, परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया जा सकता है और इस दिशा में मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा ।

4— **पदेन सचिव—** सार्वजनिक न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए जो कमेटीज बनाई जायेगी उसमें न्यास का हेड ही पदेन सचिव होगा, जिसको पावर ऑफ सुपरिटेन्डस भी होगा, परन्तु न्यास के विरूद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा ।

5— **न्यास के पदाधिकारीगण :—**बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विवेक से उपाध्यक्ष व सचिव नियुक्त करेगा, जिसका कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा घटाया

R. Verma
MANAGER
Dr. A K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur-Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 676088

बढाया जा सकता है, जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

क– **अध्यक्ष–** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का वह सदस्य जिसे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नियुक्ति किया गया तथा जिसका कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा जो बोर्ड ट्रस्टी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा।

क– **उपाध्यक्ष:–** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का वह सदस्य जिसे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किया गया हो, जो मैनेजिंग ट्रस्टी के अध्यक्ष की न मौजूदगी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, परन्तु ऐसी विशेष परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय नहीं लिया जायेगा।

ख– **सचिव :–** बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से किसी ट्रस्टी की नियुक्ति बतौर सचिव की जायेगी, जिसका कार्यकाल व अधिकार समय–समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जायेगा।

ग– **कोषाध्यक्ष :–** कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ट्रस्टी को ही किया जायेगा व उसके अधिकार व कार्यकाल का निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया .जायेगा ।

घ– **अन्य पदाधिकारी:–** इसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा किया जायेगा जो मुख्यतः बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य होंगे । जिसका कार्यक्षेत्र व कार्यकाल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्वेच्छा व विवेक पर होगा ।

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AN 676089

6– न्यासीगण का हटाया जाना अयोग्यता :–
न्यासीगण को निम्नलिखित कृत्य के पश्चात् अपने पद से मुक्त अथवा अयोग्य समझा जायेगा:–

अ– न्यासी द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की स्थिति में ।

ब– बगैर युक्तियुक्त कारण के ट्रस्ट की कार्यवाहियों में लगातार 6 महीने तक भाग न लेने की स्थिति में अथवा युक्तियुक्त कारण के लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित रहने की स्थिति में ।

स– बगैर युक्तियुक्त कारण के न्यास की धनराशि को समय पर न जमा करना।

द– किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल/दिवालिया घोषित होने की स्थिति में।

य– किसी न्यासी द्वारा न्यास के हित एवं मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में ।

<u>अधिकार एवं कर्तव्य</u>

1–मैनेजिंग ट्रस्टी :–

अधिकार– न्यास (ट्रस्ट) का सम्पूर्ण प्रशासन आदि मैनेजिंग ट्रस्टी में निहित होगा। अपने अधिकारों का प्रयोग करके समय–समय पर उपाध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति कर, उनको अधिकार प्रदान करेगा। इसे यह भी अधिकार होगी कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसले/निर्णय को न्यास के हित मेंं न हो, को अपने विवेक से अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है ।

कर्तव्य :– मैनेजिंग ट्रस्टी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि न्यास (ट्रस्ट) का कार्यकलाप सुचारू रूप से

R.Verma
MANAGER
Dr. A K Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 676090

चलता रहे। यह अपने कार्यकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकता है या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को बदल सकता है या पुनः नामित कर सकता है । इस नामांकन के अधिकार को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

1— **अध्यक्ष :—** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अध्यक्षता करेगा, तथा नीतिगत निर्णय होगा।

2— **उपाध्यक्षः—** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति, जो मैनेजिंग ट्रस्टी के विवेक से व उसके द्वारा निश्चित समय के लिये नियुक्त होगा, का अधिकार होगा कि अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी की गैर मौजूदगी में बोर्ड की अध्यक्षता करेगा परन्तु नीतिगत निर्णनहीं लेगा।

3— **सचिवः—** सचिव का कर्तव्य होगा कि ट्रस्ट के समस्त कागजात देखें व ट्रस्ट के कागजातों का रख—रखाव करें । ट्रस्ट की बैठक हेतु एजेण्डा बनाकर न्यासीगणों को सूचित करें।

4— **कोषाध्यक्षः—** वित्त सम्बन्धी समस्त कार्यकलाप कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । बैंक एकाउन्ट के संचालन में वह सहहस्ताक्षरकर्ता होगा ।

5— **अन्य पदाधिकारीः—**इनका कार्यकाल व कर्तव्य तथा अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जायेगा । उनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी । उनकी संख्या को बोर्ड अपनी स्वेच्छा से घटा बढा सकता है या पद समाप्त कर सकता है।

R. Verma
MANAGER
Dr. A K Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेनू वर्मा

रेनू वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 413381

अब यहाँ न्यास पत्र निम्नलिखित का साक्षी :–

1– उपरोक्त न्यास के न्यासीगण न्यास के लिये उपरोक्त धनराशि न्यास पत्र में आगे लिखी गयी शक्तियों, प्राविधानों, संविदा तथा घोषणा के अनुसार धारित करेंगे ।

2– न्यासीगण एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे उपरोक्त धनराशि को धारित करेंगे । (सरलता के उद्देश्य से उक्त धनराशि को न्यासकोष यहाँ बाद में कहा जायेगा) इस शब्द के अर्थ में हर प्रकार की सम्पत्ति तथा किसी प्रकार का निवेश जिसमें कि उपरोक्त सम्पत्ति या निवेश या उसका कोई भाग समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकता है । जैसा कि इस न्यास तथा उससे सम्बन्धित शक्तियों, प्राविधानों, संविदाओं तथा घोषणाओं जिनका विवरण यहाँ बाद में दिया जा रहा है, के अधीन न्यास द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है ।

3– यह कि न्यास **''प्रोग्रेसिव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन''** के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर उ0प्र0 या समय–समय पर इस न्यास के सार्वजनिक/परोकारी न्यासकर्तागण द्वारा निर्णीत किये गये स्थान पर होगा । उपर्युक्त न्यास **''प्रोग्रेसिव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन''** उपरोक्त धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण अर्थात जाति वर्ग, लिंग आदि की भावना से परे शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक उत्थान एवं अन्य उद्देश्यों से जन साधारण हेतु उपलब्ध होगा । इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विधि व्यवस्थाओं के मान्य सिद्धान्तों पर होगा ।

4– न्यासीगण न्यासकोष की आय, समस्त धनराशि, (जिसमें न्यास की सामग्री में दी जाने वाली सहयोग राशि, उपहार, दान, विज्ञापन द्वारा अर्जित किये धनराशि भी

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 413382

शामिल होगी तथा इस न्यासकोष का हिस्सा होगी) को धारित करेंगे । न्यासकोघ को आप एवं लाभ में से सर्वप्रथम न्यास के प्रबंधन प्रशासन एवं निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा ।

5– न्यासकोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा ।

अ–शैक्षिक सहायता :–

वेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र–छात्राओं को निम्नलिखित माध्यम से शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देनाः–

क– इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज फार्मेसी, खेल तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना ।

ख– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना।

ग– विधि महाविद्यालय खोलना तथा उसका प्रबन्धन करना ।

घ– एलोपैथिक, मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, मैरामेडिकल संस्थान डेंटल कालेज की स्थापना करना तथा उनके संचालन के अभिमानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना तथा उसे संचालित करना।

ङ.– कला एवं विज्ञान महाविद्यालय शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालित करना, सामाजिक धार्मिक कियाकलापों को बढावा देना ।

च– वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविरों का प्रबन्ध

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 413383

ग उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानों एवं शिविरों को समर्थन देना।

छ– न्यास के उद्देश्यों के अनुसार बिना लाभ अर्जित किये हुये छात्रावासों, प्रेक्षागृहों, जिमनेजियम, आडीटोनियम, तथा स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना।

ज– शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना, उसकी सहायता एवं उत्साहवर्धन करना।

झ– छात्र–छात्राओं हेतु अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना।

ञ– जाति धर्म समुदा, वर्ग या लिंग का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमंद एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

ट– योग्य एवं जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति, अनुदान सहायता तथा पुरस्कार देना, न्यास द्वारा भू0पू0 सैनिकों के आश्रितों उनकी विधवाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय व राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत व्यक्तियों को अनुदान देना ।

ठ– शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से स्थापित संस्थानों को नगद भुगतान देना एवं पुस्तकीय व शैक्षणिक सामग्री या अन्य किसी रूप में दान, उपहार देना ।

ड– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहीत करना, इमारत बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु कोष एकत्रित करना।

ढ– अच्छे विचारों व साहित्यों को पम्पलेट, बुकलेट तथा पुस्तकों आदि के प्रशासन द्वारा या संगोष्ठियों, सभाओं कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रसारित करना।

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

रेखा वर्मा

रेखा वर्मा

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 413384

ग— विकलांग बच्चों हेतु अन्य विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय, तथा विकलांग पुर्नवास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन ।

प— निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन।

फ— कृषि स्नातक बेरोजगार के लिए एग्रीक्लनिक एवं एग्रीबिजनेस प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालित करना।

ब— समाचार पत्र पत्रिका व फिल्म जगत की स्थापना करना, जिसमें धारावाहिक, विज्ञापन फिल्म आदि जो भी भविष्य में आधुनिकतम तरीके से विकसित हों व समाचार चैनलों, की स्थापना करना, जिससे कि समाज में सन्देश पहुँचाने का कार्य किया जा सके।

ब—चिकित्सीय सहायता :—

निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सहायता देना विशेष रूप से—

1— खैराती चिकत्सालयों, नर्सिंग होम तथा मैटरनिटीहोम, आँख अस्पताल आदि को प्रारम्भ करना।

6— निर्धन एंवं जरूरतमंद लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना ।

7— निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय से सहायता देना या अन्य किसी विद्यालय में भर्ती होने पर सहायता देना ।

8— किसी भी चिकित्सालय को या चिकित्सालय संस्थान को आपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता देना।

9— औषधि के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालयों, समितियों को सहाता देना या दान देना ।

MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 413385

10– ऐसे सभी कार्यो को करना जिसमें निर्धनों की चिकित्सा होती हो ।

11– भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेन्सरी, नर्सिंगहाम, मैटरनिटीहोम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु संग्रह करना।

12– निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, विकलांग शिविर, मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

<u>स–सामान्य उद्देश्य :–</u>

1– मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों को विकास एवं उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एवं व्यवसाय हे सहायता करना ।

2– बाढ़ ग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा तथा अन्य विपत्तियों में परेशान लोगों को राहत पहुँचाना।

3– निर्धन विधवाओं के लिए संस्थानों या कोष की स्थापना ।

4– बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्धजनों के लिए आवासों की स्थापना एवं रख रखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिये शुल्क में छूट कुछ शर्तो पर देकर (निश्चित अवधि के लिये देकर) करना, जिसमें शर्तों व अवधि का निर्धारण न्यासीगण जैसा उचित समझेंगे करेंगे।

5– जल की कमी वाले क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर कुओं खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना।

6– भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों, संगठनों से नकद धन तथा नगद दान उपहार तथा चल सम्पति या ऐसी सम्पत्तियों का अधिकार उन शर्तो पर प्राप्त करना जो कि न्यासीगण न्यास के उद्देश्य हेतु उचित समझते हों।

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

स्वामी

स्वामी

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur-Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 413386

7– न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।

8– न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी सम्पत्ति के अधिकार तथा हित को युक्तियुक्त कारणों से बेचना, सुधारना, प्रबन्ध करना, विकसित करना, अदला–बदली करना, लीज पर देना, मारगेज करना तथा न्यास के किसी खाता को निस्तारित कर देना।

9– यहाँ बाद में दिये गये उद्देश्यों, गतिविधियों तथा कार्यों को संचालित करने वाले किसी न्यास संस्थान या लोगों के संगठन को सहायता देना।

10– अन्य विधिक कार्यों, गतिविधियों तथा लेखपत्रों जिसे न्यासीगण उचित समझते हों से सामान्य रूप से सम्पादित करना।

11– उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य उद्देश्यों वाले किसी अन्य न्यास या संस्थान को न्यास में शामिल करना या उनका सहयोग करना या उनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रबन्ध न्यासी की सहमति से कार्य करना जैसा कि कानून द्वारा अनुमन्य हो।

12– ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने, भौतिक समृद्धि प्रदान करने, सामाजिक न्याय एवं समानता दिलाने तथा उनके बौद्धिक शारीरिक एवं सामाजिक पक्षों को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संचालित करना।

13– सामुदायिक विवाह की रस्मों को पूर्ण करवाने में सहायता देना तथा सामूहिक विवाक का आयोजन व प्रोत्साहित करना।

14– न्यासीगण द्वारा तय किये गये कार्यों को करना जो जन–सामान्य के लिए लाभदायक हो।

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

स्नेहलता

स्नेहलता

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 413387

15— व्यवसायिक संस्थान/प्रतिष्ठान व उद्योगों की स्थापना करना व पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी आदि की स्थापना करना।

उपर्युक्त के अलावा एतद्द्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80^{G} या उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन पुर्नअधिनियम प्रभावी होगा, जिसके द्वारा दान-दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी।

किसी वर्ष या वर्षों में उपयुक्त आय का उपभोग करने के पश्चात् यदि कोई भाग शेष बचता है तो उसे निवेश कर दिया जायेगा और उससे समय-समय पर प्राप्त आय को ऐसे निवेश में लगाया जायेगा, जिसमें एतद्द्वारा न्यास कोष को निवेषित करने हेतु निर्देशित एवं अधिकृत किया गया है और न्यासीगण को उसे उसी तरीके एवं उसी सीमा तक खर्च करने का और उपयोग करने का अधिकार होगा, मानों इस प्रकार का संजय या उसका भाग वर्ष या वर्षों की आय का हिस्सा था जिसमें कि उसको ऊपर कहे गये अनुसार खर्च एवं उपयोग किया गया।

ऊपर तय किये गये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिए यह वैध होगा कि वे स्वतंत्रतापूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने बुद्धि विवेक से उन नियमों व शर्तों पर जिसे वे उचित, समझते हों किसी न्यास, न्यासों, संस्थानों पंचायत स्थानीय परिषद या नगर पालिका की सामग्री या कोष में दान दें तथा न्यास या न्यासों के साथ सहयोग करते हुये कार्य करें व खर्चों में सहभागी बनें या नये न्यासों को धन दें, किन्तु हमेशा इस शर्त पर कि लाभ किसी विशेष समुदाय, धर्म जाति या लिंग तक सीमित न हो ।

MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur-Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 892647

7— आगे न्यास की गतिविधियों को उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से न्यास को मैनेजिंग ट्रस्टी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगा ।

1— अनुदान, दान, उपहार, धन की वसीयत तथा सभी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो कि न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के विपरीत न हो को मांगना, क्रय–विक्रय करना या स्वीकार करना।

2— न्यास से सम्बन्धित या उसके नियंत्रण की किसी सम्पत्ति एवं सम्पत्तियों को बेचने, देना, आदान–प्रदान करना, बंधक रखना, चार्ज करना, पट्टे पर देना, जमानत पर बदलना, निस्तारित कर देना या अन्य प्रकार से डील करना।

3— समय–समय पर बैंक वित्तीय संस्थानों या संगठनों आदि से न्यास के किसी उद्देश्यों हेतु सेक्योरिटी या सेक्योरिटी के बिना न्यास के वर्तमान या भविष्य के असेट्स–विल्डिंग, मशीनें भूमि व सामानों का बन्धक चार्ज क्रियेट करके या हायपोथिलेट करके या इन सबके बिना धन इकट्ठा करना या ऋण लेना तथा ऋणदाताओं को विक्रय का अधिकार या अन्य अधिकार देना जैसा कि उचित हो तथा इस प्रकार की सेक्योरटीज को खरीदना या उन्हें छुड़ाना।

4— न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उद्देश्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता न हो तो न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निर्देशित करना तथा डील करना जैसा कि समय–समय पर किया जा सकता है ।

5— न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे–

रेनू वर्मा रेनू वर्मा

R. Kumar
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 892648

क– विद्यालयों, कालेजों तथा ऐसे संस्थानों जो विकलांग बच्चों को सहायता देते हों, उनके विद्यार्थियों को ऋण देना, निःशुल्क पुस्तकें देना, पुरस्कार देना, आर्थिक सहायता देना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहों को उपर्युक्त प्रकार की सहायता देना।

ख– न्यास कोषों या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे सम्बन्धित प्रबन्धन व प्रशासन में होने वाले खर्चे को देना, जिसमें सभी प्रकार के किराये, कर तथा कर्मचारियों का वेतन, इंजीरियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों का भुगतान करना जो शैक्षिक निर्देशन एवं सहायता देती हो ।

ग– शिक्षकों, पेशेवर लोगों तथा अन्य की सेवाओं को नगद पारिश्रमिक या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक या सभार प्राप्त करना।

घ– उपर्युक्त उद्देश्य हेतु ऐसे लेख पत्र पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना तथा वादा करना जैसा कि आवश्यक हो ।

ड़.– न्यास के उद्देश्यों की तरक्की हेतु, वांछित समझी जाने वाली पुस्तकें, पम्पलेट व पोस्टरों को छपवाना, प्रकाशित करवाना तथा प्रदर्शनी लगवाना।

च– ऐसे सभी विधिक कार्यों को करना, लेखपत्र लिखना जो कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रेरक एवं प्रासंगिक हो ।

छ– ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना, जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपर्युक्त न्यास के लक्ष्य के समान हो ।

ज– कोई भी चीज जो ऊपर कही गयी है या वहाँ बाद में कही गयी है इसके बावजूद न्यास कोष की आय इस प्रकार की सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु खर्च किया जायेगा, जो कि आयकर अधिनियम 1961 या अन्य कोई अधिनियम

रेनूवर्मा रेनूवर्मा

R-Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur-Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 892649

जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों की आय से सम्बन्धित हो, द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियम शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगा।

10– श्रीमती रेनू वर्मा पत्नी स्व0 डा0 अशोक कुमार वर्मा अर्थात जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं को ही न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने, देख–रेख करने, संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे ही समय–समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध करेंगे एवं किसी भाग या उसकी आय को फिक्सड डिपाजिट करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेंगे, जिसका संचालन श्रीमती रेनू वर्मा कर सकती हैं फिर भी यदि किसी परिस्थितियों में उपर्युक्त न्यासी उपलब्ध नहीं हैं तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में श्री अभिनव वर्मा व श्री आकांक्षित वर्मा कोषाध्यक्ष हैं द्वारा संचालित किया जा सकता है तथा श्रीमती रेनू वर्मा एवं श्री अभिनव वर्मा व श्री आकांक्षित वर्मा की अनुपस्थिति में प्रोग्रेसिव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के प्रशासन प्रबन्धन एवं कोष संचालन की जिम्मेदारी इनके वंशजों की होगी । जिन्हें इन तीनों के पश्चात् तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जीवनकाल में ही नामित कर दिया जायेगा । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मैनेजिंग ट्रस्टी की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी के सम्पूर्ण अधिकारों व कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निवर्हन करेंगे ।

11– उपयुक्त प्राविधानों के अधीन विधिनुसार न्यासीगण न्यास कोष तथा अपने पास के धन को किसी सेक्योरिटी या सेक्योरिटी में निर्देशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या सेक्योरिटी को बदलने का अधिकार होगा।

रेनू वर्मा रेनू वर्मा

MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur–Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 892650

(17)

1- न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुर्ननिर्माण कराने, परिवर्तन कराने, परिवर्तन करने, सुधारने, विकसित करने या मरम्मत करने जैसा कि न्यासीगण उचित समझते हों इसका उन्हें विधिक अधिकार होगा।

2- प्रबन्ध न्यासीगण को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने या उन सम्पत्तियों के स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ हेतु जैसा कि समय–समय पर प्रबन्ध न्यासीगण, उचित समझते हों जिसका कि उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार होगा, लेखपत्र लिखने का भी अधिकार होगा ।

3- न्यासीगण को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहीत सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक, विभीषिका से बचने हेतु तथा अन्य खतरों एवं नुकसानों, जिसको न्यासीगण उचित समझते हों, समय–समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा, लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा होने से छूट गई है को नुकसान पहुँचाने पर किसी भी प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी ।

4- अचल सम्पत्ति की आय एवं लाभ में से सभी किरायों, मूल्यों, करों तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे हुये धन को जैसा कि न्यासीगण उचित समझें भारी मरम्मत कराने में उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुनर्निमाण कराने या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नव निर्माण कराने इस बीच में इन व्यक्तियों द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का अधिकार न्यासीगण को होगा।

रेखा वर्मा रेखा वर्मा

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur-Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 899951

12– न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष को किसी अचल सम्पत्ति या उसके सिकी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति करने का भी न्यासीगण का अधिकार विधिक होगा।

13– न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा–जोखा रजिस्टर, विधिअनुसार बनाये रखेंगे ।

14– न्यासीगण समय–समय पर उन नियमों व शर्तों पर जैसा कि उन्हें समीचीन लगता हो एक या अधिक पर्यवेक्षकों, शिक्षकों, लिपिकों तथा दूसरे कर्मचारियों व नौकरों की नियुक्ति करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकता है ।

15– न्यास के लक्ष्यों के निर्वहन के उद्देश्यों से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चो का पुर्नभुगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट करा दिया जाता है कि कोई न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

16– श्रीमती रेनू वर्मा, श्री अभिनव वर्मा, श्री आकांक्षित वर्मा, अन्वेषा वर्मा, श्री मुक्तिनाथ वर्मा, श्री रजनीश वर्मा, श्रीमती अनीता वर्मा अपने जीवनकाल तक स्थायी न्यासी होंगे, उपरोक्त स्थाई न्यासी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में श्रीमती रेनू वर्मा, श्री अभिनव वर्मा, श्री आकांक्षित वर्मा के संयुक्त परामर्श से ही स्थायी न्यासी बनाये जा सकेंगे । इन तीनों के न रहने पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित वंशजों के परामर्श से स्थायी न्यासी बनाये जा सकेंगे तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रीमती रेनू वर्मा के विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः मैनेजिंग ट्रस्टी एवं स्थायी न्यासी होंगे ।

रेनू वर्मा रेनू वर्मा

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12AC 053961

17— श्रीमती रेनू वर्मा, श्री अभिनव वर्मा, श्री आकांक्षित वर्मा, अन्वेषा वर्मा, श्री मुक्तिनाथ वर्मा, श्री रजनीश वर्मा, श्रीमती अनीता वर्मा हमेशा न्यासीगण की परिषद के क्रमशः अध्यक्ष सभापति, होंगे तथा न्यास की मीटिंग का सभापतित्व करेंगे । यदि न्यास की किसी मीटिंग में उपरोक्त स्थायी न्यासीगण किसी कारण से उपस्थित नहीं है तो उस विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगण को होगा । इस न्यास का सचिव तथा इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक एम0डी0 मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं होगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मण्डल की सदस्यता (न्यारी) से निष्काषित कर देगा।

18— न्यासीगण की प्रत्येक मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जयेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एवं हस्ताक्षरित हो जायेगी तब वहाँ पर किये गये या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी ।

19— न्यासीगण की न्यूनतम संख्या मैनेजिग ट्रस्टी सहित सात होगी । स्थायी न्यासीगण के कुछ समय के लिये न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा की वे आवश्यक मानते हों करने का अधिकार होगा, किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या बारह से अधिक नहीं होगी । किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर या किसी कारणों वश किसी न्यासी के न्यास से त्याग पत्र देने की स्थित में स्थायी न्यासीगण (मैनेजिंग ट्रस्टी) को इस प्रकार से मृत या त्याग पत्र देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासीगण की नियुक्ति का अधिकार होगा।

रेनू वर्मा रेनू वर्मा

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12AC 053958

20— भारतीय न्यास अधिनियम से सुसंगत प्रावधानों के अधीन न्यासीगण अपने निर्बाध्य विवेकानुसार इस प्रकार के नियमों एवं शर्तों जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हो इस लेख पत्र के न्यास की सम्पत्ति या उसके सिकी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास या संस्थान से जोड़ सकता है ।

21— किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति देने या न्यास के प्रशासन में या अधिकारों (शक्ति) के बारे में या न्यास के किसी खण्ड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्राय के सम्बन्ध में न्यासीगण में भिन्नता होने पर उसको न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अन्तिम एवं निर्णायक होगा। मत बराबर की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा।

22— समय–समय पर न्यास के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रशासन, प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में न्यासीगण को–आडिटर, आर्किटेक्ट सर्वेयर एकाउन्टेन्ट, वैल्यूयर, सालीसिटर, एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय–समय पर अपने निर्बाध्य विवेक से उपयुक्त समझे, भुगतान करने का अधिकार होगा।

रेनू वर्मा रेनू वर्मा

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar N.

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 053959

23— प्रबन्ध न्यासीगण में से किसी एक से न्यायालय, ट्रिब्यूनल, प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

24— इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्यास क्षेत्र अम्बेडकरनगर उ0प्र0 होगा।

25— न्यासीगण न्यास के एकाउन्ट का आडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों या उसमें हुए संशोधनों का पालन करेंगे।

26— न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी है । इस न्यास विलेख में कुल रू0–840/—का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है । ट्रस्ट का लेखन एवं निष्पादन अम्बेडकरनगर।

मैनेजिंग ट्रस्टी—

श्रीमती रेनू वर्मा

निवासी तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर उ0प्र0

रेनू वर्मा रेनू वर्मा

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AC 053960

प्रोग्रेसिव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के स्थायी न्यासीगण

क्र० सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय
1	श्रीमती रेनू वर्मा	स्व० श्री अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	नौकरी
2	श्री अभिनव वर्मा	स्व० श्री अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	व्यापार
3	श्री आकांक्षित वर्मा	स्व० श्री अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	नौकरी
4	अन्वेषा वर्मा	स्व० श्री अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	समाज सेवा
5	श्री मुक्तिनाथ वर्मा	स्व० श्री महादेव प्रसाद वर्मा	देव निवास कटरा गोसाईगंज, फैजाबाद	समाज सेवा
6	श्री रजनीश कुमार वर्मा	श्री मुक्तिनाथ वर्मा	देव निवास कटरा गोसाईगंज, फैजाबाद	व्यापार
7	श्रीमती अनीता वर्मा	श्री रजनीश कुमार वर्मा	देव निवास कटरा गोसाईगंज, फैजाबाद	गृहणी

दिनांक– 25-11-13

साक्षीगण– Vinod Tiwari S/o

नाम–1— Ram Milan Tiwari

पता– Mohiuddeen Pur Akbarpur

नाम 2– सुरेश श्रीवास्तव S/o श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

पता–

रेनू वर्मा

रेनू वर्मा
(संस्थापक / अध्यक्ष)
तमसा मार्ग, मीरानपुर, अकबरपुर,
अम्बेडकरनगर

रेनू वर्मा

रेनू वर्मा
मशविदाकर्ता एवं टाइपकर्ता

R. Verma
MANAGER
Dr. A. K. Public School
Tamsa Marg Akbarpur
Ambedkar Nagar

PRINCIPAL
Dr. A. K. Public School
Akbarpur- Ambedkar Nagar